संख्या- 4/2022/I/183465/2022 /001-Sevamandal

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28 जून, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष- 2022-2023 में अनुदान संख्या-18 के अधीन विभिन्न लेखा/ उपलेखाशीर्षकों, मानक मदों में विधान मण्डल द्वारा पारित धनराशियों के व्यय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 71/लेखा-अ/2022-23, दिनांक 07 जून, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष- 2022-2023 में अनुदान संख्या-18 के अधीन विभिन्न लेखा/उपलेखाशीर्षकों, मानक मदों में विधान मण्डल द्वारा पारित विवरणानुसार धनराशियों के व्यय की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान संख्या -18 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2425-सहकारिता के अधीन उप लेखाशीर्षकवार प्राविधानित धनराशियों के लेखानुदान के माध्यम से आय-व्ययक अनुमान की वित्तीय स्वीकृति के पश्चात अवशेष वित्तीय स्वीकृति के व्यय की अनुमति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं : -

3- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 18 के अधीन लेखाशीर्षक " 2425-सहकारिता के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिनके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी /शासन की स्वीकृति के बिना उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलों में व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य/ प्राप्त कर ली जाय।

3) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियों यथा सम्भव एक बार में ही जारी की जाय, परन्तु स्वीकृत धनराशि के एकमुश्त आहरण की यथासम्भव अनुमति न दी जाय।

4) कार्यायल ज्ञाप संख्या -13/2022/बी-1-454/दस-2022-23-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ / सहायक लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त -नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वह सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तुरन्त दें।

5) आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनायें वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

6) मित्तव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2425000010600 (उ.प्र. सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल) के नामे डाला जायेगा।

लेखाशीर्षक		आय-व्ययक प्राविधान 2022-23	04 माहों के लेखानुदान की स्वीकृत धनराशि 2022-23	स्वीकृत हेतु अवशेष धनराशि 2022-23
	1	2	3	4
06-	उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवामण्डल			प्रस्तावित धनराशि
01	वेतन	315.00	38.33	276.67
03	महगांई भत्ता	116.55	14.18	102.37
04	यात्रा व्यय	0.50	0.17	0.33
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.10	0.03	0.07
06	अन्य भत्ते	0.02	0.01	0.01
08	कार्यालय व्यय	0.50	0.17	0.33
09	विद्युत देय	2.00	0.67	1.33
10	जलकर / जलप्रभार	3.00	1.00	2.00
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.25	0.08	0.17

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13-	टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.17	0.33
15-	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.50	0.17	0.33
17-	किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	16.00	5.33	10.67
42-	अन्य व्यय	1	0.33	0.67
45-	अवकाश यात्रा व्यय	0.25	0.08	0.17
46-	कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय	0.50	0.17	0.33
47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.17	0.33
49-	चिकित्सा व्यय	3.00	1.00	2.00
51-	वर्दी व्यय	0.30	0.10	0.20
55-	मकान किराया भत्ता	71.08	3.62	67.46
	योग -06	**531.55**	**65.78**	**465.77**

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-2- < > -X-2022-23, दिनांक- जून, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

बी0 एल0 मीणा
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या- 4/2022/I/183465**/2022/001-Sevamandal, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
5) वेब मास्टरर, कार्यालय आयुक्तु एवं निबन्धबक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
6) वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
7) वित्त (आय-व्ययायक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
9) सहकारिता अनुभाग- 1
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in